भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3014
दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा उपकरण उद्योग

3014. डॉ. मोहम्मद जावेदः
श्री के. सुधाकरनः
डॉ. अमर सिंहः
डॉ. शशि थरूरः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में चिकित्सा उपकरणों की कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में विभिन्न उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरणों के आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2019-20 और 2022-23 के बीच उच्च-स्तरीय उपकरणों के आयात में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहनों के लागू होने के बावजूद इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा घरेलू चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार घरेलू चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी को कम करने और तैयार चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क बढ़ाने की योजना बना रही है जो कच्चे माल या विनिर्माण घटकों पर आयात शुल्क से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(च) सरकार द्वारा देश में घरेलू विनिर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए क्लाउड कम्प्यूटिंग और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डीजीसीआईएंडएस के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान चिकित्सा उपकरणों के पांच खंडों (उपभोज्य एवं डिस्पोजेबल, इलेक्ट्रो-मेडिकल उपकरण, प्रत्यारोपण, इन-विट्रो डायग्नोस्टिक्स, सर्जिकल उपकरण) के संबंध में आयात-निर्यात आंकड़े निम्नानुसार है:

(अमरीकी मिलियन डॉलर में)

	वित्तीय वर्ष 2019-20	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
निर्यात	2293	2532	2923	3391	3785
आयात	5845	6242	8540	7492	8188

वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच, उक्त पांच खंडों में आयात का सीएजीआर 8.63% और निर्यात का सीएजीआर 13.93% है, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान आयात की तुलना में निर्यात की वृद्धि अधिक रही है।

वित्त वर्ष 2022-23 चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की पीएलआई योजना के तहत कार्यनिष्पादन का पहला वर्ष था। तब से सितंबर, 2024 तक इस योजना के तहत आवेदकों द्वारा की गई संचयी बिक्री 8039.63 करोड़ रुपये है (जिसमें 3,844.01 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है)।

(ग): चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अलावा, भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं।

(i) चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन योजना: पार्कों में स्थित चिकित्सा उपकरण इकाइयों को विश्व स्तरीय साझा बुनियादी ढांचा सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए 20 मार्च, 2020 को "चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन" की योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपये है और कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक है। इस योजना के अंतर्गत, विभाग को 16 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को इन चार राज्यों में प्रस्तावित चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझी बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विनिर्माण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई।

(ii) चिकित्सा उपकरण उद्योग के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना

चिकित्सा उपकरण उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने के लिए, जिसमें प्रमुख घटकों और सहायक उपकरणों का विनिर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययनों के लिए सहायता, साझा बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योग का संवर्धन शामिल है, दिनांक 08.11.2024 को 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ पांच उप-योजनाओं के साथ "चिकित्सा उपकरण उद्योग का सुदृढ़ीकरण" नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना की उप-योजना इस प्रकार है:-

(i) चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों के लिए साझा सुविधाएं
(ii) आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना
(iii) चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता विनिर्माण और कौशल विकास
(iv) चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना
(v) चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना

(घ): राजस्व विभाग के अनुसार, जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जिसमें संघ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों सरकारों का प्रतिनिधित्व होता है। जीएसटी परिषद की ऐसी कोई सिफारिश नहीं है।

(ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने कुछ चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण के लिए छह केंद्रीय चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, देश में सरकारी चिकित्सा उपकरण परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करने के लिए, चिकित्सा उपकरण नियम 2017 को जीएसआर 409(अ) दिनांक 02.06.2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिसमें राज्य सरकारों के लिए राज्य चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं।

(च): विभाग की योजनाओं के तहत समर्थित चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना उनकी अपनी पसंद के अनुसार है। चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन की पीएलआई योजना के दिशानिर्देश निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए विनिर्माण से संबंधित आईटी और आईटीईएस बुनियादी ढांचे में निवेश को स्वीकार्य बनाते हैं।

*****